

13/6/2025



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70



ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in

दिनांक: 13/06/2025

सेवा मे,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लाट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा।
4. आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
5. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
6. उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा।

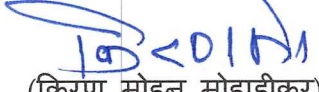
विषय: दिनांक 09/06/2025 को अपराह्न 12:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 09/06/2025 को अपराह्न 12:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

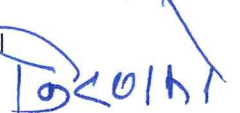

(किरण मोहन मोहाडीकर)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ
3. विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
4. सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
5. कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा।
6. उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा।
8. कंप्यूटर सेक्शन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजेड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

: सूचनार्थ


उप विकास आयुक्त

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 09/06/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 09/06/2025 को दोपहर 12:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल राँय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्री विवेक चौधरी, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग नौएडा।
4. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (iii) प्रमोद कुमार, आशुलिपिक -I, और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

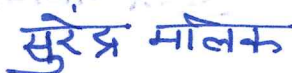
D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 27/05/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 27/05/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 27/05/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) क्रॉफ्टिन इंटरनेशनल एलएलपी - नई इकाई की स्थापना।

2.1 मेसर्स क्रॉफ्टिन इंटरनेशनल एलएलपी के भागीदार श्री राजीव कुमार अग्रवाल और एमडी अजहरुद्दीन खान, सीए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री राजीव कुमार अग्रवाल ने अनुमोदन समिति को बताया कि उनकी एक स्वामित्व फर्म है जिसका नाम एडी इम्पेक्स है जो मुख्य रूप से इजरायल को हार्डवेयर वस्तुओं के निर्यात में लगी हुई है। उन्होंने



आगे बताया कि आवेदक फर्म क्रॉफ्टन इंटरनेशनल एलएलपी को अगस्त 2023 में शामिल किया गया है जिसमें अन्य भागीदार उनके परिवार के सदस्य हैं।

2.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट की तुलना में फॉर्म-एफ में प्रस्तावित उत्पादों और उनके एचएस कोड में भिन्नता थी।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स क्रॉफ्टन इंटरनेशनल एलएलपी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं को संशोधित फॉर्म-एफ के साथ प्रस्तुत करने के अधीन होगा, जिसमें प्रस्तावित अधिकृत संचालन (विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के विभाजन के साथ) के समेकित विवरण के साथ-साथ सही 8 अंकों के आईटीसी एचएस कोड और 'विनिर्माण' के लिए प्रस्तावित उत्पादों की वार्षिक क्षमता शामिल होगी। इसके अलावा, आवेदक को परियोजना की लागत और वित्त के साधनों को विस्तृत करने और परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट में उल्लिखित आईटीसी एचएस कोड के अस्तित्व की फिर से जांच करने का निर्देश दिया गया। अनुमोदन समिति ने आवेदक से आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्राप्त होने पर फाइल पर स्वीकृति पत्र (LOA) जारी करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को अधिकृत किया।

(3) बिक्रम एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 इकाई के भागीदार श्री बलदेव सिंह अनुमोदन समिति की बैठक में उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई द्वारा प्रस्तुत सीए प्रमाण पत्र के अनुसार, इकाई ने 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान भारतीय रुपये के संदर्भ में न्यूनतम निर्धारित मूल्य संवर्धन हासिल नहीं किया है। इसके अलावा समिति ने यह भी पाया कि अन्य टिप्पणियाँ भी थीं जैसे प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की रिपोर्टिंग में भिन्नता, आयकर से संबंधित मामले, संयंत्र और मशीनरी में किसी भी निवेश के बिना काम करने वाली इकाई, वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) और खातों की पुस्तकों में समापन स्टॉक की रिपोर्टिंग में बेमेल, जैसा कि इकाई ने अपने सीए के माध्यम से स्वयं सूचित किया था।

3.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को **स्थगित** कर दिया और इकाई को निर्देश दिया कि वह परियोजना अनुभाग द्वारा कार्यसूची नोट में बताई गई टिप्पणियों के विरुद्ध इकाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। इकाई को संशोधित CA प्रमाणित मूल्य संवर्धन विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया, जिसमें SEZ नियम 53(D) में निर्धारित मूल्य संवर्धन सूत्र को ध्यान में रखते हुए INR और USD में मूल्य संवर्धन शामिल है, साथ ही लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की अद्यतन स्थिति और निर्यात की

सुरेंद्र मल्लिक

तारीख से 9 महीने से अधिक समय के लिए निर्यात आय की प्राप्ति के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए RBI से अनुमोदन की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

(4) एक्वाप्लस ग्लोबल - आयात/निर्यात के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) में ट्रेडिंग की वस्तुओं/नए एचएसएन कोड को जोड़ने का अनुरोध।

4.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन अर्थात् "(i) एक्वा बाइक (स्पा बाथ टब/स्विमिंग पूल बाथ टब आदि के एक हिस्से के रूप में) (95069990); (ii) बाथरूम फिटिंग आइटम (विशेष रूप से लकड़ी से बने) (44187900, 44119429, 44091010, 40169100) का व्यापार" को शामिल करने के लिए प्रस्ताव इकाई को मंजूरी दी।

(5) नारायण एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त मद विवरण / आईटीसी एचएस कोड को शामिल करने और माल निर्यात के लिए दी गई दो एकमुश्त अनुमति के अनुसमर्थन का अनुरोध।

5.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री नरेश शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

5.2 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि इकाई के विशेष अनुरोध पर, इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21/05/2025 और 02/06/2025 के तहत माल निर्यात के लिए दो एकमुश्त अनुमतियाँ प्रदान की गई हैं। ये अनुमतियाँ अनुमोदन समिति के अनुसमर्थन के अधीन दी गई थीं।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा अनुरोध के अनुसार स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, बशर्ते कि प्रस्तावित विनिर्माण वस्तुओं में से प्रत्येक की वार्षिक क्षमता प्रस्तुत की जाए।

5.4 अनुमोदन समिति ने दिनांक 21/05/2025 और 02/06/2025 के पत्र के माध्यम से इकाई को दी गई दो एकमुश्त अनुमतियों की भी पुष्टि की।

(6) सनग्लास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड - व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के लिए एकमुश्त अनुमति।

6.1 इकाई के लेखा अधिकारी श्री योगेश कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि ये वस्तुएं दस वर्ष पूर्व निःशुल्क आधार पर नमूने के रूप में आयात की गई थीं और वर्तमान में ये वस्तुएं व्यापार योग्य नहीं हैं।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इकाई नियम 74ए के तहत बाहर निकलने के अधीन है, निःशुल्क आधार पर नमूने के रूप में आयातित व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के लिए एकमुश्त अनुमति के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो लागू शुल्क/करों, यदि कोई हो, के भुगतान और इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) के रखरखाव के अधीन है। यह



अनुमोदन इस आशय के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगा कि प्रस्तावित उत्पादों को निःशुल्क आधार पर नमूने के रूप में आयात किया गया था।

(7) महर्षि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - आईटीसी (एचएस) कोड के अधिकृत संचालन और अद्यतनीकरण में संशोधन।

7.1 इकाई के सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) -निर्यात श्री सौरभ गुसा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। पूछताछ पर उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित आइटम व्यापारिक गतिविधि के लिए थे।

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत किए जाने के अधीन, स्वीकृति पत्र (LOA) में "लकड़ी के दूधब्रश (96032100) के व्यापार को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उक्त आइटम विशेष रूप से व्यापारिक गतिविधि के लिए है।

(8) जीएसआर इंडस्ट्रीज - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त प्राधिकृत संचालन को शामिल करना।

8.1 इकाई के उत्पादन प्रबंधक श्री मोहित अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि विदेशी खरीदारों की मांग पर वे अपने ब्रांड उत्पादों से संबंधित स्वनिर्धारित टी-शर्ट खरीदेंगे और व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से उन्हें निर्यात करेंगे।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के व्यापार संवर्धन के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) में "टी-शर्ट (61091000) के व्यापार" को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि इकाई के पास मूल रूप से अपनी सहयोगी कंपनी मेसर्स बुलेट इंटरनेशनल को आवंटित परिसर से संचालन करने की वैध अनुमति है। परियोजना और ईएम अनुभाग को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मूल आवंटी की स्थिति पर गौर करने का भी निर्देश दिया गया।

(9) जेपी होरोलॉजी - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत प्लॉट नंबर 89, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) पर भवन सहित अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का बाहर निकलना और हस्तांतरण तथा स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता में विस्तार।

9.1 अनुमोदन समिति ने पाया कि ईएम अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्लॉट नंबर 89 को 20/05/2005 को मेसर्स जेपी होरोलॉजी को हस्तांतरित कर दिया गया था। हालांकि, कब्जे की तारीख और प्लॉट नंबर 89 के उप-पट्टा विलेख विवरण जैसी जानकारी फाइल पर उपलब्ध नहीं थी (ईएम अनुभाग की रिपोर्ट के अनुसार)। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि ईएम अनुभाग के अनुसार, यदि इकाई ने उप-पट्टा विलेख निष्पादित की होती, तो यह 20.05.2005 से 15 वर्षों में पहले ही समाप्त हो चुकी होती। इसके अलावा, इकाई ने सूचित किया है कि वे उप-पट्टा विलेख की प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं, जिसके लिए उन्होंने नौएडा प्राधिकरण से संपर्क किया है, लेकिन वह भी नौएडा प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है। अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि कानूनी

सुरेंद्र मलिक

राय में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि "जब तक पट्टा दस्तावेज नहीं मिल जाता या कानूनी रूप से पुनः पंजीकृत नहीं हो जाता, तब तक परिसंपत्ति हस्तांतरण के लिए कोई अंतिम अनुमोदन नहीं दिया जा सकता है।"

9.2. अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) 30/06/2019 तक वैध था और इकाई ने स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। अनुमोदन समिति ने 01/11/2021 को आयोजित अपनी बैठक में इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) को 31/12/2022 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया था, बशर्ते इकाई द्वारा संशोधित फॉर्म-एफ1 प्रस्तुत किया जाए जिसमें उपरोक्त उत्पादों का पूर्ण 8 अंकों का आईटीसी (एचएस) कोड और अन्य संबंधित दस्तावेज दिए जाएं। हालांकि, इकाई ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए औपचारिक अनुमोदन जारी नहीं किया जा सका। इस बीच, इकाई ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना से बाहर निकलने और परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

9.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और कानूनी राय तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इकाई ने 2018 से 2025 की अवधि के दौरान कोई गतिविधि नहीं की है; तथापि, यह भूखंड का आबंटी बना हुआ है, इसने 08/06/2025 तक अपने स्वीकृति पत्र (LOA) को नियमित किया है तथा स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, अर्थात् 09/06/2025 से 08/12/2025 तक। अनुमोदन समिति ने ईएम अनुभाग को इस विस्तारित अवधि के भीतर अपने पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

(10) सीएंडबी एरोमास एलएलपी - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

10.1 इकाई के प्रबंधक श्री सुधांशु मिश्रा और लेखा अधिकारी श्री अजीत कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने अनुमोदन समिति को बताया कि उनकी कारखाना को कोर्ट के आदेश के माध्यम से सील कर दिया गया था और बाद में इसे सीलबंद कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि उनका आयात लदान 11.04.2025 को सीएफएस पटपड़गंज में आ गया है, और वे वर्तमान में विलंब शुल्क दे रहे हैं। पूछताछ करने पर, उन्होंने बताया कि उक्त आयात शिपमेंट उनके आपूर्तिकर्ता हांगजो, चीन से आयात किया गया है, जिसके लिए उन्होंने वर्ष 2017 में अग्रिम भुगतान किया था। भविष्य की व्यावसायिक योजना के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके पास निर्यात ऑर्डर नहीं हैं।

10.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और परियोजना अनुभाग को इकाई से अपने चीनी आपूर्तिकर्ता को इकाई द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान जैसे बैंक स्टेटमेंट, स्विफ्ट संदेश आदि के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियां प्राप्त करने के निर्देश दिए, साथ ही आयात दस्तावेजों जैसे बिल ऑफ लैंडिंग आदि को सहसंबंध के लिए फाइल पर प्रस्तुत करने और तत्काल आयात शिपमेंट की अनुमति देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उन्हें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग को स्वीकृति पत्र (LOA) नवीनीकरण पर आवश्यक निर्णय लेने के लिए प्रस्तावित आयात के संबंध में इकाई से विशिष्ट व्यवसाय योजना प्राप्त करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा इकाई को इस

सुरेंद्र मालिक

आशय के दस्तावेजी साक्ष्य और मामले की वर्तमान कानूनी स्थिति के साथ कारखाने की सीलिंग और डी-सीलिंग का पूरा विवरण प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया।

(11) लिस्टर मोसेनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-1)- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत प्लॉट नंबर 124, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भवन सहित अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों से बाहर निकलना और हस्तांतरण।

11.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 27/05/2025 को आयोजित बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार, मेसर्स लिस्टर मोसेनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 124, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना से बाहर निकलने के लिए दिनांक 06/06/2025 को सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई है। इसके अलावा इस बीच इकाई ने प्लॉट नंबर 124, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों से बाहर निकलने और हस्तांतरण के लिए मेसर्स क्रॉफ्टन इंटरनेशनल एलएलपी को दिनांक 28/05/2025 को आवेदन भी प्रस्तुत किया है। हालांकि क्रॉफ्टन इंटरनेशनल एलएलपी से कोई सहमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

11.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद पाया कि मेसर्स लिस्टर मोसेनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के नियम 74ए की शर्तों को पूरा करता है। समिति ने प्लॉट संख्या 124, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण के लिए मेसर्स क्रॉफ्टन इंटरनेशनल एलएलपी को सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया। यह (i) हस्तांतरणकर्ता द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा करने; (ii) लागू हस्तांतरण शुल्कों के भुगतान; (iii) हस्तांतरणकर्ता द्वारा हस्तांतरणकर्ता की परिसंपत्तियों और देनदारियों को लेने के संबंध में सहमति पत्र और कानूनी वचनबद्धता प्रस्तुत करने; और (iv) प्लॉट संख्या 124, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए हस्तांतरणकर्ता कंपनी के बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति के अधीन है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अरविंद मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त